न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-03, गोण्डा।

सत्र परीक्षण वाद संख्या-1028/2020

सरकार बनाम अवध किशोर तिवारी आदि

मु०अ०सं०-184/2020
धारा-302, 201 आई०पी०सी०
थाना-उमरीबेगमगंज
जिला-गोण्डा।

दिनांक-18-08-2023

पत्रावली पेश हुई। आज यह वाद प्रार्थना पत्र 36 क 1 पर आदेश हेतु नियत है। प्रार्थना पत्र 36 क 1 पर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांकित–27–04–2023 के अनुपालन में उभयपक्ष को पूर्व में सुना जा चुका है। माननीय उच्च न्यायालय का उक्त आदेश केवल अभियुक्त अशोक कुमार सिंह की ओर से प्रस्तुत किया गया है। पत्रावली का माननीय उच्च न्यायालय के आदेश उपरोक्त के आलोक एवं अनुपालन में पत्रावली का अवलोकन किया गया।

निस्तारण प्रार्थना पत्र–36 क 1 अन्तर्गत धारा–319 सी०आर०पी०सी०:–

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी/वादी की ओर से इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी मुकदमा उपरोक्त का मुद्दई है। प्रार्थी के भाई राजू की दिनांक–30–08–2020 को रात्रि में जब वह खेत की रखवाली करने गया था, तब मुल्जिमान अवध किशोर तिवारी, राम किशोर तिवारी, अशोक सिंह और ललित सिंह ने एक राय होकर हत्या कर दी थी। प्रार्थी ने इस घटना में शामिल मुल्जिमान के विरुद्ध तहरीर देकर नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचक द्वारा दौरान विवेचना पर्याप्त साक्ष्य होने के बावजूद प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित अभियुक्तगण अशोक सिंह व ललित सिंह व राम किशोर तिवारी का नाम निकालकर मात्र अभियुक्त अवध किशोर तिवारी व प्रकाश आयी अभियुक्ता कमला देवी के विरुद्ध ही आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। आरोपित अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप विरचित होने के उपरान्त प्रार्थी ने बतौर पी०डब्लू०–01 अजय कुमार सिंह, पी०डब्लू०–02 व पी०डब्लू०–03 उमेश सिंह ने अपने सशपथ बयान में प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित सभी अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित किया जाना तथा सभी मुल्जिमान द्वारा घटना कारित करने में भूमिका निभाना बताया है। इस प्रकार अभियुक्तगण अशोक सिंह, ललित सिंह व राम किशोर तिवारी की घटना कारित करने में सक्रिय भूमिका रही है तथा इन लोगों को तलब कर उनका भी परीक्षण धारा–302/201 आई०पी०सी० के तहत किया जाना न्यायहित में नितान्त आवश्यक एवं न्यायसंगत है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अभियुक्तगण अशोक सिंह पुत्र रणजीत सिंह ललित सिंह पुत्र हरि प्रसाद सिंह व राम किशोर तिवारी पुत्र बनवारी तिवारी निवासीगण परास पट्टी मझवार थाना उमरीबेगमगंज जिला गोण्डा को धारा–302/201 आई०पी०सी० के तहत तलब कर उनका भी परीक्षण करने की याचना की गयी है।

जिस पर पूर्व में आपत्तिकर्तागण की ओर से प्रस्तुत आपत्ति पत्र कागज संख्या–55 ख प्रस्तुत करते हुए यह कथन किया है कि प्रार्थी/वादी रणधीर सिंह द्वारा एक फर्जी कहानी बनाकर दिनांक–01–09–2020 को थाना उमरीबेगमगंज जिला गोण्डा में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट की विवेचना थाना उमरीबेगमगंज की पुलिस द्वारा की गयी और तमाम स्वतंत्र साक्षियों का बयान अंकित किया गया है। प्रार्थीगण/आपत्तिकर्ता के परिवार के मध्य चुनावी रंजिश के कारण दुश्मनी चली आ रही है, इस कारण वादी मुकदमा रणधीर सिंह द्वारा एक बनावटी कहानी के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित कर दिया गया था। प्रार्थी/आपत्तिकर्ता नं०–

01 अशोक कुमार सिंह पुत्र स्व० रणजीत सिंह राजकीय कर्मचारी है और घटना के दिन वह गोण्डा मुख्यालाय में मौजूद थे और कथित घटना से कोई वास्ता व सरोकार नहीं रहा है तथा घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे। प्रार्थीगण/आपत्तिकर्तागण के संबंध में तमाम विवेचना किया गया, परन्तु विवेचक महोदय को एक भी साक्ष्य नहीं मिला कि उपरोक्त अशोक कुमार सिंह व ललित सिंह का इस घटना से कोई लेना देना रहा है। प्रार्थी/आपत्तिकर्ता संख्या–01 के परिवार के विरुद्ध दिनांक–03–04–2020 को थाना उमरीबेगमगंज जिला गोण्डा में मु०अ०सं०–66/2020 धारा–302 आई०पी०सी० थाना उमरीबेगमगंज जिला गोण्डा में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी, जिसमें वादी मुकदमा अजय कुमार सिंह उर्फ बब्लू सिंह पुत्र शिव बहादुर सिंह, निवासी–ग्राम परास पट्टी मझवार थाना–उमरीबेगमगंज जिला गोण्डा है और वही इस मुकदमें में गवाह है और उसी रंजिश के कारण इस मुकदमें में गवाही दी गयी है। प्रार्थीगण/आपत्तिकर्तागण के विरुद्ध मुकदमा उपरोक्त के साक्षी बतौर पी०डब्लू०–01 अजय कुमार सिंह उर्फ बब्लू सिंह के द्वारा सारी कहानी बनाकर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है। उपरोक्त मामले में विवेचक महोदय द्वारा विवेचना के दौरान सी०सी०टी०वी० फुटेज व सी०डी०आर० के माध्यम से यह स्पष्ट किया जा चुका है कि अशोक कुमार सिंह और ललित सिंह गोण्डा में मौजूद थे। मुकदमा उपरोक्त में अशोक कुमार सिंह व ललित सिंह की मौजूदगी के संबंध में तमाम स्वतंत्र गवाहों का बयान अंकित किया जिसमें यह पाया गया कि उपरोक्त दोनों की संलिप्तता नहीं पायी गयी। उपरोक्त घटना में संलिप्तता नहीं पायी जाने के कारण नामजदगी गलत की गयी है। मुकदमा उपरोक्त में प्रार्थीगण/आपत्तिकर्तागण का कोई लेना देना नहीं है। प्रार्थीगण/आपत्तिकर्तागण को मात्र दुश्मनी/रंजिशन हैरान व परेशान करने की नियत से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–319 सी०आर०पी०सी० प्रस्तुत किया गया है, जो बनावटी व षड़यन्त्रपूर्ण के तहत प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–319 सी०आर०पी०सी० निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि यह वाद वादी रणधीर सिंह की तहरीर प्रार्थना पत्र 4 क 4 के आधार पर अभियुक्तगण अवध किशोर तिवारी, राम किशोर तिवारी, अशोक सिंह तथा ललित सिंह के नामजद पंजीकृत हुआ है, किन्तु आरोप पत्र केवल अवध किशोर तिवारी व कमला देवी के विरुद्ध ही प्रस्तुत किया गया है। विवेचना में शेष अभियुक्तगण के विरुद्ध विवेचना प्रचलित होना आरोप पत्र में उल्लिखित किया गया है।

अभियोजन का कथानक यह है कि प्रार्थी रणधीर सिंह उर्फ रानू पुत्र उमेश सिंह निवासी परास पट्टी मझवार थाना उमरीबेगमगंज गोण्डा का निवासी हूँ। प्रार्थी के भाई राजवीर उर्फ राजू पुत्र उमेश सिंह प्रति दिन शाम को खाना खाने के बाद सरयू घाघरा नदी के किनारे अपने गन्ने के खेत की रखवाली करने जाते थे। दिनांक– 03–08–2020 को भी प्रतिदिन की तरह अपने गन्ने की रखवाली करने गये थे। वहीं मचान पर सोते थे। दिनांक–30–08–2020 की रात में अवध किशोर तिवारी पुत्र बनवारी तिवारी, निवास परास पट्टी मझवार अपने लड़की को मेरे भाई द्वारा भगा ले जाने की शंका पर अपने भाई राम किशोर पुत्र बनवारी व अशोक कुमार सिंह पुत्र रणजीत सिंह, ललित सिंह पुत्र हरि प्रसाद सिंह के साथ मिलकर गन्ने के खेत में क्रूरतापूर्वक हत्या करके दाहिनी आंख निकाल करके सरयू नदी में साक्ष्य को मिटाने के लिए सरयू घाघरा नदी में फेंक दिया। प्रार्थी के चाचा की हत्या में अभियुक्त अतुल सिंह पुत्र अशोक सिंह के विरुद्ध चश्मदीद गवाह भी है, जिससे अशोक सिंह व उनका परिवार मुझसे रंजिश रखता है। दिनांक–31–08–2020 शाम करीब 05:30 बजे गाँव के लोग अपने खेती की रखवाली के लिए नदी के किनारे पहुंचे एक बहती हुई लाश को देखकर बाहर निकाला और मेरे भाई राजवीर सिंह के रुप में पहचान कर मुझे और मेरे परिवार वालों को सूचना दिया। हम लोग परिवार के साथ नदी के किनारे पहुंचे और अपने भाई की लाश मिलने की सूचना थाने दी।

अभियोजन की ओर से साक्षी पी०डब्लू०–01 वादी मुकदमा का बयान न्यायालय में अभिलिखित कराया गया है, जिसने अपने बयान में कथन किया है कि मृतक राजवीर सिंह उर्फ राजू मेरा सगा छोटा भाई था। सरयू घाघरा नदी के किनारे स्थिति मेरे खेत लगे गन्ने की फसल की रखवाली करने मृतक खाना खाकर शाम को खेत की रखवाली करने जाता था। दिनांक–30–08–2020 को भी रखवाली करने के लिए राजवीर रात नौ बजे घर से गया था, लेकिन सुबह होने पर घर लौटकर नहीं आया। मैं अपने भाई को तलाश करने के लिए गन्ने के खते पर गया था। काफी तलाश करने के बाद मेरा भाई नहीं मिला। दिनांक–31–06–2020 को मेरे गाँव के कुछ लोग अपना खेत रखाने नदी के पार जा रहे थे, उन्होंने शाम को नदी में लाश बहते हुए देखा। लाश निकालने में गाँव के और लोग भी थे, फिर मेरे चाचा ने लाश निकालने के बाद मुझे सूचना दिया। मैं अपने परिवार के साथ लाश के पास पहुंचा। मैंने पुलिस को सूचना दी थी। मैं थाना उमरीबेगमगंज पर अवध किशोर तिवारी, राम किशोर तिवारी, अशोक सिंह व ललित सिंह के खिलाफ तहरीर दी थी। प्रति परीक्षा में साक्षी ने अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए कथन किया है कि मैंने एफ०आई०आर० में अशोक सिंह, ललित सिंह का भी नाम लिखवाया था। अशोक सिंह, अतुल सिंह के पिता है और ललित उसके चाचा का लड़का है। इन दोनों के खिलाफ तफ्तीश चल रही है। मैंने लाश देखी थी।

साक्षी पी०डब्लू०–02 अजय कुमार सिंह उर्फ बब्लू का बयान न्यायालय में अभिलिखित कराया गया है, जिसने अपने बयान में कथन किया है कि घटना दिनांक–30–08–2020 की है। उस रात में रणधीर की जगह पर राजवीर खेत रखाने गया था, सुबह तक वह घर नहीं आया था। हम सभी परिवार वालों ने उसे इधर–उधर खोजा, लेकिन वह नहीं मिला। दिनांक–31–08–2020 को कुछ लोगों ने देखा कि नदी में एक लाश पड़ी हुई है। नदी की लाश देखकर सूचना दिया था। राजवीर के खेत के पास चार लोग दिखाई पड़े मैंने उन लोगों को देखा और पहचाना था। वे राम किशोर तिवारी, अशोक सिंह व ललित सिंह थे। मौके पर पुलिस पहुंचकर लाश का पंचनामा किया था। मृतक के भाई रणवीर सिंह ने थाने में जाकर एफ०आई०आर० की थी। अशोक सिंह के पुत्र अतुल सिंह ने अपने साथियों के साथ हमारे बड़े भाई देवेन्द्र प्रताप की हत्या कर दी थी। उसके साथ ही संदीप पाठक की हत्या हुई थी। डबल मर्डर हुआ था। अशोक सिंह फोन कर धमकाते थे कि मुकदमें में गवाही मत देना। रोज रानू खेत पर जाते थे, उस दिन वही नहीं गया, उनके चक्कर में उनका भाई मारा गया। मैंने विवेचक को बयान दिया था। जब मैने लाश बरामद हुई तब लाश को देखा था। मृतक की दाहिनी आंख फोड़ी हुई थी और शरीर पर कई चोंटे थी। गले पर भी निशान था। यही चारों लोग उसको मार दिये हैं।

साक्षी पी०डब्लू०–03 उमेश सिंह का बयान न्यायालय में अभिलिखित कराया गया है, जिसने अपने बयान में कथन किया है कि मृतक राजवीर मेरा छोटा बेटा था। दिनांक–30–08–2020 को रात 09:00 बजे खाना खाकर राजवीर आदि हम दोनों गन्ने की रखवाली करने गये थे। खेत में राजवीर मचान पर सो गया। मैं गन्ने के खेत में 11:30–12:00 बजे तक खेत में घूमते रहे। 11:30–12:00 उसको जगाकर मैं वापस आऩे लगा तो रास्ते में हमें अवध किशोर, राम किशोर, अशोक सिंह, ललित सिंह चारों लोग मिले। ये चारों लोग खड़े थे, कुछ बात कर रहे थे। हमको देखकर ये लोग चुप हो गये। हम सीधे अपने घर चले आये। सुबह जब वह वापस नहीं आया तो हमने बहुत ढूंढा वह नहीं मिला। दिनेश सिंह का खेत हमारे खेत के बगल में है। उसने लाश नदी में जाकर देखी तो सब लोग लाश निकाले। हम मौके पर पहुंचे लाश पहचानी थी। हमारे बड़े बेटे ने अवध किशोर, राम किशोर, अशोक सिंह व ललित सिंह के खिलाफ मुकदमा लिखाया है। अवध किशोर ने हमारे बड़े लड़के से कहा है कि तुम्हारा भाई हमारी लड़की को छेड़ता है उसको समझा दो नहीं तो उसकी हत्या कर देंगे। दिनांक–31–08–2020 को ये अवध किशोर सुबह थाने पर तहरीर दिये कि राजवीर उनकी लड़की को ले कर भाग गया है। हम लोग सुबह से उसको खोज ही रहे थे। सौ नंबर की पुलिस हमारे घर पर आई थी तो हमने कहा था कि हम खोज ही रहे हैं, अगर गलती किया होगा तो उसको पकड़ कर लाऊंगा पर शाम को पांच बजे लाश ही मिली। अवध किशोर की लड़की

नहीं मिली आज तक कोई सूचना नहीं है। लाश मिलने के बाद भी दरोगा जी ने हमसें पूछतांछ किया था। मेरा बेटा रणधीर सिंह लाठी सिंह को धारा–302 आई०पी०सी० के मुकदमें में गवाह था तो ये अशोक सिंह आदि ललित सिंह उसको धमकी देते थे कि गवाही देने मत जाना नहीं तो जान से मार देंगे। उसी के चक्कर में राजवीर की हत्या इन लोगों ने कर दी। जिरह में इस साक्षी ने भी यह कथन किया है कि मैं गन्ने की खेत में घूमता रहा। साढ़े ग्यारह व बारह बजे उसको जगाकर वापस आने लगा तो रास्ते में अवध किशोर, राम किशोर, अशोक सिंह, व ललित सिंह चारों लोग मिले थे। ये चारों लोग खड़े थे कुछ बातें कर रहे थे। हमको देखकर चुप हो गये।

इस प्रकार अभियोजन की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त साक्षीगण ने अभियोजन कथानक के समर्थन में बयान दिया है, किन्तु जिरह में कहीं भी स्पष्ट रुप से अभियुक्तगण द्वारा मृतक को प्रत्यक्षतः मारने का कथन नहीं किया है, केवल अभियुक्तगण की घटना में संलिप्तता प्रकट की है। तहरीर में वादी द्वारा यह कथन किया गया है कि अभियुक्त अवध किशोर तिवारी ने अपनी लड़की को मेरे भाई द्वारा भगा ले जाने की शंका पर अपने भाई राम किशोर, अशोक कुमार सिंह, ललित सिंह के साथ मिलकर क्रूरतापूर्वक हत्या करके दाहिनी आंख निकालकर सरयू नदी में फेंक दिया। पत्रावली पर मृतक की शव विच्छेदन आख्या मूल रुप में उपलब्ध है, जिसमें मृतक राजवीर के शरीर मृत्यु पूर्व चोटें आई हैं। अभियुक्तगण पर मृतक राजवीर सिंह की निर्मम पूर्वक चोटें पहुंचाकर हत्या कर नदी में फेंकने का आरोप है।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित आदेश दिनांक–27–04–2023 में माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था Brijendra Singh and Others Vs. State of Rajasthan (2017) 7 Supreme court cases 706 के आलोक एवं अनुपालन में तत्काल वाद में अभियुक्तगण के विरुद्ध अभी तक कोई सशक्त साक्ष्य नहीं आया है। वाद में अन्य साक्षीगण का साक्ष्य लिया जाना शेष है। अभियोजन के शेष साक्षीगण के साक्ष्य के उपरांत ही इस बिन्दु पर विचार किया जायेगा। अतः माननीय उच्च न्यायालय के आदेश उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थना पत्र 36 क 1 अन्तर्गत धारा–319 सी०आर०पी०सी० वाद के स्तर पर निस्तारित किया जाता है। वाद वास्ते शेष साक्ष्य दिनांक–12–09–2023 को पेश हों।

Sd/-

दिनांक-18-08-2023

अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश
कक्ष संख्या-03, गोण्डा।